<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-61/2017/जिला टोंक

सांवरमल पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।

--अपीलांट

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्री जगदीशनारायण
2. लक्ष्मण पुत्र श्री भैरू
3. छाजू पुत्र श्री भैरू
4. जगदीश पुत्र श्री भैरू
5. रामेश्वर पुत्र श्री कन्हैयालाल (कन्हैयालाल पुत्र श्री भैरू)
6. बदाम बेवा श्री कन्हैयालाल
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक।
7. गीता पुत्री श्री कन्हैयालाल पत्नि सुरज्ञान
8. संतरा पुत्री श्री कन्हैयालाल पत्नि रामजीलाल
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी कृष्णा क्वाटर नं0 6 हरिपुरा वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक।
9. दिलबर पुत्री श्री कन्हैयालाल
   सभी जाति ब्राहमण निवासी कृपारामपुरा तह0 चाकसू जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय निवाई जिला टोंक।

——रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विदवान उपखण्ड अधिकारी, निवाई दिनांक 17.04.2017 अन्तर्गत अपील संख्या 12/2014 बउनवानी कैलाश बनाम लक्ष्मण वगैरह।

उपस्थित अभि0ः–श्री एस0एस0राठौड़(अपीलांट अभि0)
श्री गिरीश शर्मा (रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी नम्बर 176/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम महाराजपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। भैरू पुत्र नैनू मूल पुरूष है। इनके पांच पुत्र कन्हैया ,छाजू, कजोड़, लक्ष्मण तथा जगदीश हुये। कजोड़ की मृत्यु के बाद नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 को तहसीलदार निवाई द्वारा नामातंरण कन्हैया, छाजू, लक्ष्मण एवं जगदीश के नाम स्वीकृत किये गये। जगदीश के पुत्र कैलाश(वर्तमान रेस्पोड़ेंट संख्या 1) द्वारा उपखण्ड अधिकारी निवाई के समक्ष नामातंरण संख्या 429 के विरूद्ध अपील संख्या 12/2014 प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि कजोड़ द्वारा दिनांक 15.06.2009 को कैलाश के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी और कजोड़ की मृत्यु के बाद पगड़ी दस्तूर भी कैलाश के किया गया था। इसलिए कजोड़ को गोदपुत्र माना जायें। लेकिन वर्तमान अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार से मिलकर नामातंरण संख्या 429 अपने पक्ष में करवा लिया। उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा दिनांक 17.04.2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:41 IST
Reason: SelfAttested

को स्वीकार की गयी। जिसमें नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया गया। वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है–

1. नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 तहसीलदार निवाई द्वारा तस्दीक किया गया था। उसकी प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी के समक्ष संधारण योग्य नहीं थी।

2. अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई थी। जो साक्ष्य में स्वीकार नहीं की जा सकती है। वसीयत को सिद्ध नहीं करवाया गया है।

3. नामातंरण स्वीकार के समय कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था। अंत में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2017 निरस्त किया जाकर नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 को बहाल रखा जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल में प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह कहा गया है कि तहसीलदार निवाई द्वारा तस्दीक नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 की नकल अभी प्राप्त नहीं हो पायी है। जो शिघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः उक्त नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जायें।

स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह कहा गया है कि नामातंरण संख्या 429 तहसीलदार निवाई द्वारा तस्दीक किया गया था। जिसकी सुनवाई उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में नहीं होती है। मगर क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग करते हुए आदेश दिया गया है। उक्त आदेश दिनांक 17.04.2017 की क्रियान्विति ,पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखा जायें। अन्यथा अपील प्रस्तुती का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलांट श्री अजीत सिंह एवं रेस्पोडेंट वकील श्री गिरीश शर्मा उपस्थित हुए। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि कजोड़ पुत्र भैरू की भूमि का विवाद है। कजोड़ लाऔलाद दिनांक 24.06.2009 को फौत हो चुका है। कजोड़ के अन्य भाइयों में से कन्हैयालाल की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी वारिस रेस्पोडेंट संख्या 5 से 9 है। कजोड़ के अन्य भाई छाजू ,लक्ष्मण और जगदीश जीवित है। कजोड़ की विरासत नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 से चारों भाइयों के नाम खोली गई। जगदीश के पुत्र कैलाश द्वारा उपखण्ड अधिकारी निवाई के समक्ष 12/2014 नम्बर से अपील की गई थी। उक्त अपील वसीयत के आधार पर स्वीकृत की गई थी। वसीयत ट्राइल कोर्ट में प्रदर्शित नहीं की गई थी। जबकि वसीयत उचित करवाना होगा। पगड़ी दस्तूर मात्र से कोई गोदपुत्र नहीं हो सकता है। मौखिक कथनों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि हमने ट्रायल कोर्ट में दो अपील प्रस्तुत की थी। एक अपील नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 के विरूद्ध तथा एक अन्य अपील नामातंरण संख्या 981 दिनांक 06.07.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की। नामातंरण संख्या 429 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में 12/2014 नम्बर से अपील दर्ज करवायी थी। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:41 IST
Reason: SelfAttested

पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 17.04.2017 को निर्णय किया गया था। निर्णय का मुख्य आधार कैलाश बनाम छाजू के मध्य विचाराधीन वाद प्रकरण में स्थगन था। फिर भी नामातंरण खोला गया था। यह मानते हुए नामातंरण निरस्त किया गया था। जिसकी अपील 59/2017 नम्बर से न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। एक अन्य अपील नामातंरण संख्या 988 दिनांक 06.07.2009 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी निवाई में 10/2009 नम्बर से दर्ज करवायी गयी थी। जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 17.04.2017 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया। इसकी अपील अपीलांट द्वारा 6/2017 नम्बर से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील राजीनामा होने से विड्रो की गई।

रिब्युटल में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि कोई राजीनामा नहीं हुआ था। नोटप्रेस में अपील खारिज करवायी गयी थी। उपखण्ड अधिकारी का निर्णय एबइनिश्यु वॉइड की श्रेणी में आता है। तहसीलदार द्वारा खोले गये नामातंरण की अपील एडीएम/एडीसी को होगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मियाद बाहर अपील को भी मियाद में मानते हुए निर्णय किया गया।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.04.2017 का है और अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 15.06.2017 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्रोसिडिंग का अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.04.2017 अपील संख्या 12/2014 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय का ऑपरेटिव हिस्सा निम्नानुसार है—**न्यायालय हाजा के उनवानी दावा कैलाश बनाम छाजू वगैरह बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा में न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रेस्पोडेंट को उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड को यथावत बनाये रखे जाने बाबत पाबंद किया गया था। रेस्पोडेंट ने स्थगन आदेश होने बावजूद उक्त नामातंरण की कार्यवाही की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 ग्राम पंचायत चैनपुरा को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि संबंधित कर्मचारी जिन्होने स्थगन आदेश होने के बावजूद उक्त नामातंरण पर कार्यवाही की है। उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायें।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कैलाश बनाम छाजू प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उपखण्ड अधिकारी निवाईं द्वारा दिनांक 10.07.2009 को खसरा नम्बर 176/1/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ग्राम महाराजपुरा स्थित भूमियों पर राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने बाबत आदेश जारी किया गया। जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 18.08.2009 को रखी गई। न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 30.01.2013 पत्रावली पेश हुई। पीओ साहब प्रशासन गांवों के संग अभियान में व्यस्त है। दिनांक 25.03.2013 को यह लिखा हुआ है। बकुलाय फरिकेन हाजिर पत्रावली वास्ते दिनांक 24.05.2013 को पेश हुई। अगली तारीख 24.05.2013 की जगह काटा फासी करके दिनांक 30.04.2013 दर्ज की हुई है। उक्त दिनांक को यह लिखा हुआ है। पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत बढाई जाने टीआई आदेश पेश करने पर पत्रावली सिगे से बरामद होकर पेश हुई। अवलोकन किया गया। पूर्व में जारी टीआई आदेश को आगामी तारीख पेश दिनांक 24.05.2013 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली नियत दिनांक 24.05.2013 को पेश दावे के साथ रखी हो। इससे पूर्व अंतिम बार दिनांक 31.07.2012 को टीआई अवधि बढ़ाने का आदेश दिया गया था जबकि अगली तारीख दिनांक 07.08.2012 दी गई थी। जबकि नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 को स्वीकृत किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:41 IST
Reason: SelfAttested

नामातंरण संख्या 429 ग्राम महाराजपुरा का अवलोकन किया गया। नामातंरण के कॉलम नम्बर 7 में यह अंकित किया हुआ है। कजोड़ पुत्र भैरू हिस्सा 1/5, शेष हिस्सा 3/5 और शेष खाता मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर रहेगा। नामातंरण के कॉलम नम्बर 9 में यह अंकित किया हुआ है कि छाजू, लक्ष्मण, जगदीश पिता भैरू हिस्सा 3/20, रामेश्वर, सांवरमल पुत्र कन्हेयालाल, गीता, संतरा, छोटी,दिलभर पुत्रीयां कन्हैयालाल, बदाम बेवा कन्हैयालाल हिस्सा 1/20 हिस्सा बराबर शेष हिस्सा व शेष खाता मुताबिक जांच की बदस्तूर रहेगा। नामातंरण के कॉलम संख्या 16 में यह अंकित किया है। खातेदार कजोड़ फौत होने वारिसानों की जांच मजमेंआम में की गई एवं चैनपुरा के नामातंरण की पुष्टि होने पर नामातंरण परत चस्पा की गई। बाद जांच नामातंरण भरकर पेश है। बाद जांच स्वीकृति प्रमाण उक्त नामातंरण दिनांक 02.02.2013 को पटवारी द्वारा भरा गया था। गिरदावर द्वारा इसी दिनांक को जांच में रिकोर्ड अनुसार अंकन सही माना था तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.02.2013 को भी नामातंरण को स्वीकृत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 14.07.2009 के बाद स्टे अवधि आगे बढ़ाने बाबत कोई पत्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। यह भी सही पाया गया है कि गोदपुत्र बाबत कोई मूल दस्तावेज/रजिस्टर्ड गोदनामा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 10/2009 में कैलाश बनाम ग्राम पंचायत चैनपुरा एवं अन्य में नामातंरण संख्या 988 दिनांक 06.07.2009 को खारिज करते हुए वसीयत एवं गोदपत्र के संबंध में जांच कर विधिवत रूप से नामातंरण की कार्यवाही बाबत निर्देश दिये गये थे। वसीयत एवं गोदपत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।

तहसीलदार के स्वीकृत नामातंरण की अपील नियमों के अनुसार धारा 135(2) में एडीसी/डीसी न्यायालय को एवं धारा 135(1) के तहत एडीएम/डीएम को होती है। मगर वर्तमान अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार की अपील उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा सुनी गई है। जो कि क्षेत्राधिकार के विरूद्ध जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनी गई है। जो उचित नहीं है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्टे बाबत निर्देश मात्र एकबार जारी किया गया है तथा न्यायालय प्रोसिडिंग पर अंतिम बार नामातंरण संख्या 429 के तस्दीक होने से पूर्व दिनांक 31.07.2012 को जारी किया गया था। जो दिनांक 07.08.2012 तक रखा गया था। उक्त दिनांक के बाद न्यायालय प्रोसिडिंग के अनुसार टीआई प्रार्थना पत्र में स्थगन बाबत कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। ना ही कोई अवधि बढ़ाई गई थी। दिनांक 25.03.2013 के बाद पत्रावली दिनांक 24.05.2013 को प्रस्तुत की जानी थी। मगर दिनांक में काटा फासी करके 24.05.2013 से पूर्व दिनांक 30.04.2013 में प्रोसिडिंग को उन्होने लिखकर टीआई आदेश को दिनांक 24.05.2013 तक बढ़ाने का अंकन किया है। दिनांक 09.05.2013 को कैलाश द्वारा स्थगन आदेश बाबत नोट कम्प्यूटर जमाबंदी में लगाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार को दिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र ग्राम महाराजपुरा की भूमियों से संबंधित है। मगर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2013 के काफी समय बाद प्रस्तुत किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:41 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 12/2014 उनवानी कैलाश बनाम लक्ष्मण एवं अन्य निर्णय दिनांक 17.04.2017 विरूद्ध नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 को निरस्त किया जाता है। नामातंरण संख्या 429 दिनांक 02.02.2013 ग्राम महाराजपुरा तहसील निवाईं जिला टोंक को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:41 IST
Reason: SelfAttested